इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जून 2015—ज्येष्ठ 18, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जून 2015

क्र. 2864-165-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २००२ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
३. धारा ४-क का संशोधन.
४. धारा १० का संशोधन.
५. धारा १४ का संशोधन.
६. धारा १६-क का संशोधन.
७. धारा १८ का संशोधन.
८. धारा २९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ८ जून, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ है.

(२) (क) इस संशोधन अध्यादेश की धारा ५ के खण्ड (दो), धारा ७ और धारा ८ के उपबंध १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अध्यादेश के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २००२ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ से ८ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ४-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, एक बार में अधिकतम छह कलेण्डर मास की कालावधि के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.''.

धारा १० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, उप-खण्ड (एक) में, अंक और शब्द ''४ प्रतिशत की दर'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''५ प्रतिशत की दर'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (६) में, द्वितीय प्रभाग (डिवीजन) में, मद (दो) में, अंक और शब्द ''४ प्रतिशत'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''५ प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१क ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१क झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किए गए टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.";

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, अंक और शब्द "४ प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अंक और शब्द "५ प्रतिशत की दर से" स्थापित किए जाएं.

धारा १६-क का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६-क में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(३) इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ के अधीन रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध दायित्वों के, जिसमें कर और ब्याज / शास्ति की बकाया शामिल है, राज्य सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार निराकरण हेतु योजना बना सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है—

(एक) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोड (बी आई एफ आर) द्वारा संदर्भित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई, जो प्रबंधन को परिवर्तन के माध्यम से अधिग्रहण अथवा बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के अनुसरण में परिसमापन के अधीन औद्योगिक इकाई के आधिकारिक परिसमापक से क्रय के पश्चात् पुनर्वासित किए जाने के लिए है या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अधीन किसी वित्तीय संस्था, राज्य शासन के किसी निगम, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश वित्त निगम से क्रय की गई वृहद् / मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई;

(दो) राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन हैं और बोर्ड उनके पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर रहा है या तैयार कर ली है;

(तीन) लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अधीन "मध्यप्रदेश लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना" स्वीकृत की गई है.".

धारा १८ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द "पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात्

एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् पांच सौ रुपये प्रतिदिन की राशि'' स्थापित किए जाएं.

धारा २९ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (५ख) का पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(५ग) इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई का कारबार उसी व्यापारी की किसी अन्य इकाई में समामेलित किया जाता है, और वह प्रत्येक ऐसी इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है तो ऐसे समामेलन की तारीख को समामेलित होने वाली इकाई द्वारा धारित माल, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी शामिल है, का अंतरण समामेलित इकाई में हुआ समझा जाएगा और समामेलित इकाई ऐसे समामेलन की तारीख को असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.''.

भोपाल :

तारीख ६ जून, २०१५.

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2015

क्र.2865-165-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 of 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 4-A.
4. Amendment of Section 10.
5. Amendment of Section 14.
6. Amendment of Section 16-A.
7. Amendment of Section 18.
8. Amendment of Section 29.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 of 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th June, 2015.]

Promulgated by the Governor in the sixty sixth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2015.

(2) (a) The provision of clause (ii) of Section 5, Section 7 and Section 8 of this Amendment Ordinance shall be deemed to have come into force from 1st April, 2015;

(b) The remaining provisions of this Amendment Ordinance shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 8.

Amendment of Section 4-A.

3. In Section 4-A of the principal Act, in sub-section (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that where such appeal is not so disposed off within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board shall, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the stay for a maximum period of six calender months at a time.".

Amendment of Section 10.

4. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), in sub-clause (i) for the words and figure "the rate of 4 percent", the words and figure "the rate of 5 percent" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

5. In Section 14 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (6), in second division in item (ii), for the figure and word "4 percent", the figure and word "5 percent" shall be substituted;

(ii) after sub-section (1AH), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1AI) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases telephone, cellular hand set and phablet, pan masala

and gutka (whithout tobacco) as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and sells the telephone, cellular hand set and phablet, pan masala and gutka (without tobacco) so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim and be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.";

(iii) in sub-section (5), in clause (a), in sub-clause (i), for the words and figure "at the rate of 4 percent", the words and figure "at the rate of 5 percent" shall be substituted.

Amendment of Section 16-A.

6. In section 16-A of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Acts repealed by this Act, the State Government may make a scheme to liquidate the liabilities including arrears of tax and interest/penalty, under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, the Madhya Prdesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 administered by the Commercial Tax Department, against the sick or closed industrial units, in accordance with the provisions of the Industrial Promotion Policy of the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, "the sick or closed industrial unit" means—

(i) the large and medium scale insustrial units referred by the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for being rehabilitated after acquisition/takeover through change of management or by way of purchase from official liquidator of industrial unit under liquidation pursuant to recommendation for winding up by BIFR or the large/medium scale industrial units purchased under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) from a financial institution, a State Government Corporation, Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation or Madhya Pradesh Financial Corporation;

(ii) the large and medium scale industrial units situated in the State, whose cases are under consideration before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and the Board is preparing or has prepared rehabilitation scheme for their rehabilitation;

(iii) the small scale industrial unit in respect of which "Madhya Pradesh Small Scale Industries Revival Scheme" under the Industrial Promotion Policy has been sanctioned.".

Amendment of Section 18.

7. In section 18 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (d), for the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees one thousand per day, subject to a maximum of rupees fifty thousand", the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees five hundred per day, subject to a maximum of rupees twenty five thousand" shall be substituted.

8. In section 29 of the principal Act, after sub-section (5B), the following sub-section shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 29.**

"(5C) Notwithstanding anything to the contrary contained anywhere else in this Act, when the business of a unit of a dealer is amalgamated into another unit of the same dealer and he holds separate registration certificate for each of such units, the goods including plant and machinery, held by the amalgamating unit on the date of such amalgamation shall be deemed to have been transferred to the amalgamated unit and the amalgamated unit shall be entitled to take credit of input tax rebate, which remains unadjusted on the date of such amalgamation.".

Bhopal :
Dated the 6th June 2015.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.